

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सरवर आजम पिता- अली आजम अंसारी ग्राम-अखैनीया पो०-चकरा थाना+जिला-सीवान यू.एचआईडीनं०-102649963	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	निशु कुमारी पिता-श्याम निरंजन सिंह ग्राम-पो०-खरसंड थाना-कल्याणपुर जिला-समस्तीपुर यू०एचआईडीनं०-102411476	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,00,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000 /-(चार लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 848723.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...848793...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1676(14)

पटना, दिनांक 12.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
21.10.17

सं० सं० 14/.एम 11-2/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

मेडिकल सुप्रीटेंडेंट  
जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज,  
अस्पताल अलीगढ़-202002

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नीतीश कुमार पिता-अधिक लाल दास ग्राम-पो०-धनौरा थाना-रसुलपुर जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 1,60,000 /-(एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,60,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000 /- ( एक लाख साठ हजार ) रुपया का क्रास चेक सं०.....  
.....~~848797~~..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1679(14)

पटना, दिनांक 12-10-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर स्वा० विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/10/17  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,  
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रीता तिवारी पति-संजय तिवारी ग्राम+पोस्ट-पाण्डेय पट्टी थाना-मुफसिल जिला-बक्सर	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹0 1,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) का क्रास चेक सं०..... 848786 .....  
...मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 09.10.17

ज्ञापांक 1644(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को/ श्री विजय प्रकाश, मा० पूर्व मंत्री /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
21.10.17

सं0सं0-14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,  
निदेशक,  
मेडिका मगध अस्पताल,  
राजेन्द्र नगर रोड नं0-2बी0  
पटना- 800016

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	वकील राय पिता-नगीना राय ग्राम-बजरमारा पोस्ट-तालीमापुर थाना-जामो बाजार जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख ) स्वीकृत।
2	जय नाथ सिंह पिता-स्व. यमुना सिंह ग्राम-मराछी पोस्ट-साघर सुल्तानपुर थाना-भगवानपुर हॉट जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
3	दिनेश तिवारी पिता-स्व0 राम प्रताप तिवारी ग्राम-चाणक्य कालोनी गली नं0-3, पो0+थाना-सासाराम जिला-रोहतास	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
4	आरती सिन्हा पति-विजय कुमार सिन्हा ग्राम-सी0 9, साधनापुरी, गर्दनीबाग, पोस्ट-जी0पी0ओ0 थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,25,000 /-

७२  
११/१०

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 5,25,000/—.(पांच लाख पच्चीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~848787~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० **37055550128** खाता धारक का नाम—'मेडिका मगध अस्पताल, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम — पी०बी०बी०, डाक्टर कालोनी RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/—  
( डा० आर० डी० रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~848787~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/—

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1649(14)

पटना, दिनांक 9.10.21

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
21.10.21

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,

राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मुकेश कुमार पिता-ललन गुप्ता ग्राम-ढेकहा फकीरा टोला पो०-ढेकहा बाजार थाना-पीपरा कोठी जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं०-2017440628	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	अमरेश कुमार सिंह पिता-बैकुंठ नारायण सिंह ग्राम-माया बिगहा पोस्ट-तेलडीहा थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद सीआरनं०-2017478017	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	प्रभा देवी पति-मुनी लाल सहनी ग्राम-सरोतर पोस्ट-हुसैनी थाना-डुमरीया जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं०-2017337711	सर्जरी (पेट रोग)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	इन्दु कुमारी पिता-मुन्नी साव ग्राम-खीदरपुरा पोस्ट-सुरंगापुर थाना+जिला-जहानाबाद सीआरनं०-2015880538	आंत रोग (सर्जरी)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।



5	दीपक तिवारी पिता-विमलेन्द्र तिवारी ग्राम-पो0-असहनी थाना-रसुलपुर जिला-सारण छपरा सीआरनं0-2016675626	मुत्र रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
6	रानी देवी पति-देवेन्द्र सिंह ग्राम+पो0-फकुली थाना-छपरा मुफसिल जिला-सारण सीआरनं0-2017642820	ब्रेन ट्युमर	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	मंजु देवी पति-रविकान्त राम ग्राम-पो0-देवहलीया थाना-रामगढ़ जिला-भभुआ, कैमुर सीआरनं0-2017589115	कैंसर रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 7,10,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,10,000 /-( सात लाख दस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~87-8788~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-  
(डा0 आर0 डी0 रंजन)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~87-8788~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1655 (14)

पटना, दिनांक 10.10.12

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री प्रमोद कुमार, मा0 मंत्री पर्यटन विभाग / श्री जनार्दन सिंह, सिंप्रीवाल मा0 सांसद / श्री निरंजन राम मा0 स0वि0स0 मोहनिया / सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख



प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक  
मेदान्ता द मेडिसिटी, गुड़गांव,  
सेक्टर-38, हरियाणा,  
पीन-122 001

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० मतलुब आलम पिता-स्व. मो० यासुब आलम ग्राम-महमुद साह लेन दरियापुर पो०-बांकीपुर, थाना-पीरबहोर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- ( पचास हजार ) का क्रास चेक सं०.....  
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

- यह चेक ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लि०, गुड़गांव हरियाणा के नाम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 12.10.17

ज्ञापांक 1677(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में / श्री नन्द किशोर यादव  
मा० मंत्री पथ निर्माण वि० / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रमुख  
21/10/17

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शांति देवी पति-स्व. बद्री प्रसाद ग्राम-रामपुर नया टोला पो०-बेलवा थाना-मुफसिल जिला-पटना केसफाइलनं०-सीपी० / 24984	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	मो० सलीम पिता-मोहम्मदीन साह ग्राम+पो०-दामोदरपुर थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर केसफाइलनं०-सीएन० / 35252	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
3	नीतीश कुमार यादव पिता-उपेन्द्र यादव ग्राम-लगमा, पो०-शिवकुंड थाना-धरहरा जिला-मुंगेर केसफाइलनं०-सीके० / 09989	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 / -(एक लाख ) स्वीकृत।
4	मिथलेश कुमार दुबे पिता-कृष्णा दुबे ग्राम-चौराई पोस्ट-भेलाई थाना-उदवन्त नगर जिला-भोजपुर, आरा केसफाइलनं०-सीपी / 23971	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।

5

5	रेखा झा पति-रवि शंकर झा ग्राम-पानी टंकी हनुमान मंदिर के पास, पो-लोहियानगर थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना केसफाइलनं०-सीपी० / 26264	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,00,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000 /- (चार लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 848799 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683, खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुंबई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह० /-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 848799 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह० /-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1672(14)

पटना, दिनांक 12.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री संतोष कुमार, मा० सांसद /संबंधित मरीज/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/10/17

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,  
राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	धिरेन्द्र कुमार पिता-गौरी शंकर राय ग्राम-गांधी चौक, राजनगर पोस्ट+थाना- राजनगर जिला-मधुबनी	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
2	सीता देवी पति-पारस प्रसाद ग्राम-धोबवालीया पो०-जीगरावा थाना-महराजगंज जिला-सीवान	थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अरुण कुमार सिंह पिता-स्व. चन्द्रदेव सिंह ग्राम-सिविल लाईन बक्सर थाना-मोडल पोस्ट+जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
4	सुधा देवी पति-अनिल प्रसाद सिंह ग्राम-खिड़डी पो०+थाना-रजौन जिला-बांका	सर्जरी (रेक्टल)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	मो० जफीरुद्दीन पिता-अब्दुर रहमान ग्राम-कुरमा पो०+थाना-धोरैया जिला-बांका	सर्जरी (कंजरवेटिव)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 4,00,000 /

११

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- ( चार लाख ) का क्रस चेक सं० 848751 .....मूल रूप में संलग्न है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)


निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

पटना, दिनांक 26/09/17

ज्ञापांक

1614(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ श्री मनीष कुमार मा० विधायक (धोरैया) बांका/ सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1.	उमा देवी पति-सार्जन साह ग्राम+पोस्ट-मकदुमा थाना-अमरपुर जिला-बांका सीआरनं०-126686/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2.	चिन्ता देवी पति-राजा राम चौधरी ग्राम+पोस्ट-कझाई थाना-बिक्रमगंज जिला-रोहतास सीआरनं०-121033/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3.	मन्ती देवी पति-बिरेन्द्र राय ग्राम-शंकरपुर पोस्ट-गंगहारा थाना-शाहपुर जिला-पटना सीआरनं०-148419/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4.	रंजु देवी पति-संतोष राय ग्राम-मेहा पो०+थाना-डंडारी जिला-बेगुसराय सीआरनं०-142510/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

5.	नरेश प्रसाद अकेला पिता-स्व. बिन्देश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-चन्दु बिगहा पो0-असाढ़ी थाना-हिलसा जिला-नालंदा सीआरनं0-160939 / 17	कैसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
6.	पुष्प लता सिन्हा पति-स्व.राधिका रमण प्र0 सिन्हा ग्राम-जवाहर लाल खासमहल रोड नं0-2, चिरैयाटांड, पो0-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला-पटना सीआरनं0-119629 / 17	कैसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
7.	बबीता देवी पति-बद्री रजक ग्राम+पो0-भतकुंडी थाना+जिला-बांका सीआरनं0-161868 / 17	कैसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
8.	मराछो देवी पति-ललन राम ग्राम+पोस्ट-पचभीन्डा थाना-तरैया जिला-सारण सीआरनं0-107133 / 16	कैसर रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत।
9.	महादेवी पंडित पिता-स्व. बैद्यनाथ पंडित ग्राम+पो0-पुरखौली थाना-लालगंज जिला-वैशाली सीआरनं0-133368 / 17	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
10.	मनोरमा देवी पति-श्याम नारायण दास ग्राम-छितरौली पो0-कमला गोपालपुर थाना-बिहटा जिला पटना सीआरनं0-161966 / 17	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
11.	टुनटुन मंडल पिता-बिन्देश्वरी मंडल ग्राम-पो0-सुखासन थाना-सिहेश्वर जिला-मधेपुरा सीआरनं0-10933 / 17	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

12.	सीता देवी पति-राम सकल महतो ग्राम-छोटी जाना पो0-पनसल्ला थाना-छौड़ाही जिला-बेगुसराय सीआरनं0-102532 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
13.	शिवरातो देवी पति-कामेश्वर सिंह ग्राम-धनकारह पो0-धोदारह थाना-सासाराम जिला-रोहतास सीआरनं0-163606 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14.	बनारसी मंडल पिता-हरिचरण मंडल ग्राम-लैलख पो0-ममलखा थाना-सबौर जिला-भागलपुर सीआरनं0-170405 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
15.	उर्मिला देवी पति-महेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम-जीतपुर पो0-बथान परसा थाना-शंकरपुर जिला-मधेपुरा सीआरनं0-170281 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
16.	राम दुलारी देवी पति-जुगेश्वर यादव ग्राम-शोभैपुरा पो0-हसनपुर सुगर मिल्स थाना-हसनपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-160349 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
17.	केवल देवी पति-शत्रुघन यादव ग्राम-दाइंग पो0-महापारा थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा सीआरनं0-002381 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
18.	रूपा देवी पति-किशुन यादव ग्राम+पो0-डोमा महडर थाना-लक्ष्मीपुर जिला-जमुई सीआरनं0-102573 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।



19.	फुलमणी देवी पति—श्री लड्डु चौधरी ग्राम+पो0—कंजरी थाना—बेलदौर जिला—खगड़िया सीआरनं0—150941 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 /—(अस्सी हजार) स्वीकृत।
20.	कलावती देवी पति—जंगी लाल सिंह ग्राम—पो0—कर्णपुरा थाना—जी0वी0नगर जिला—सीवान सीआरनं0—201791 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 /—(पचास हजार) स्वीकृत।
21.	फुलवा देवी पति—छोटु रविदास ग्राम—खरौन्ध पो0—शेरपुर थाना—सिरदला जिला—नवादा सीआरनं0—199704 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 /—(पचास हजार) स्वीकृत।
22.	अवधेश कुमार गुप्ता पिता—स्व. रामचन्द्र साह ग्राम—जगनाथपुर नगवा पो0—छाप थाना—पारु जिला—मुजफ्फरपुर पंजी / ओ0पीडी / 106399 / 16	कैंसर रोग	₹ 40,000 /—(चालीस हजार) स्वीकृत।
23.	श्यामा देवी पति—परमानन्द सिंह ग्राम—सोनपुर पो0+थाना—बेलागंज जिला—गया सीआरनं0—109014 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत।
24.	ललीता देवी पति / पिता—सहदेव साव ग्राम+पो0—सिंघीया थाना—नया रामनगर जिला—मुंगेर सीआरनं0—162486 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत।
25.	कामेश्वर यादव पिता—वंशी यादव ग्राम—मरसुआ पो0—कुर्था बाजार थाना—मखदुमपुर जिला—जहानाबाद सीआरनं0—159029 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत।

26.	जिवेश्वर प्रसाद यादव पिता-गोविन्द प्रसाद यादव ग्राम-कदरा पथार पोस्ट-ढाका मोड़ थाना+जिला-बांका सीआरनं0-173897 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
27.	अनपूर्णा देवी पति-अर्जुन प्रसाद सिंह ग्राम-सुखासन-06 पो0-सुखासन चकला थाना+जिला-मधेपुरा सीआरनं0-145093 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
28.	राजेश कुमार पिता-महेन्द्र प्रसाद ग्राम-अधपा पो0-सोरमपुर थाना-जानीपुर जिला-पटना सीआरनं0-172977 / 17	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000 / -(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
29.	राजेश कुमार पिता-इसो यादव ग्राम+पो0-बन्देहरा थाना-पसराहा जिला-खगड़िया सीआरनं0-169689 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
30.	रंजन कुमार पिता-कैलाश रजक ग्राम-शिवपुरी खास महेन्दु पो0-महेन्दु थाना-सुल्तानगंज जिला पटना सीआरनं0-165928 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
31.	रामावती देवी पति-रामायण महतो ग्राम-नरसिंह भानपुर पो0-बसंतपुर बंगला थाना-अमनौर जिला-सारण सीआरनं0-080688 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
32.	चन्दन कुमार पिता-राजेन्द्र नोनीया ग्राम-पडरावा पो0-महुआवा थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-114045 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।

33.	प्रिंस राज पिता-अशोक कुमार ग्राम-महादेव बिगहा पोस्ट-जामनगंज थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सीआरनं0-137490 / 15	किडनी रोग	₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
34.	रमेश यादव पिता-दिलचन्द यादव ग्राम-जमुआवा पो0-सोहैपुर, थाना-मुफसिल जिला-गया सीआरनं0-105016 / 17	मुत्र रोग	₹ 15,000 / -(पन्द्रह हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
35.	रंधीर तिवारी पिता-सीता राम तिवारी ग्राम-सुल्तानपुर पो0-कन्हाईपुर थाना-मोकामा जिला-पटना सीआरनं0-166610 / 17	मूत्र रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
36.	अयोध्या सहनी पति-त्रिवेणी सहनी ग्राम-सिपरा प्रगती नगर पोस्ट-ढेलवा थाना-बेउर जिला-पटना सीआरनं0-180259 / 17	किडनी रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
37.	सुनैना देवी पति-विनोद सिंह ग्राम-बहादुरपुर पो0-गिलानी थाना-सारे जिला-नालंदा सीआरनं0-184754 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
38.	विजय कुमार सिंह पिता-स्व. हरदेव राय ग्राम-पृथ्वीपुर, चिरैयाटांड पो0-जी0पी0ओ0 थाना-कंकड़बाग जिला-पटना सीआरनं0-175921 / 17	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
39.	रंजन देवी पति-रमेश यादव ग्राम-इटहरी पो0+थाना-जानकीनगर जिला-पूर्णिया सीआरनं0-173482 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 25,30,000 / -

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 25,30,000/-( पच्चीस लाख तीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 848785 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम—“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 ” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम – पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/  
(डा0 आर0 डी0 रंजन)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 848785 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1659(14)

पटना, दिनांक 10.10.17

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री अवधेश कुमार सिंह मा0 पूर्व मंत्री/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
24.10.17